महत्वपूर्ण एवं खास

ज्वेलर्स शॉप में लगी आग फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कोई हताहत नहीं

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में बीती रात आग लग गई । बताया जा रहा ज्वेलर्स गौतम चंद गोलछा की दुकान में आग लगी है। आग लगाने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी जिसके बाद काफी मशक्कत कर आग पर पाया काबू पाया गया है बताया जाता है कि गैलरी साहब के आसपास कचरे के ढेर में आग लगाया गया जिसके बाद वह धीरे-धीरे फैल गया।

भूपेश सरकार के विरूद्ध भाजपा का जेल भरो आंदोलन 16 को

जगदलपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन, आंदोलन को रोकने वाले सर्कुलर के खिलाफ बस्तर जिला भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए जगदलपुर में 16 मई को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा एवं हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव ने कहा कि भूपेश बघेल प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। भूपेश सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर सर्कुलर को वापस ले। सर्कुलर वापस नहीं लेने को लेकर 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन जनता के सहयोग से किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी लोकेश कावडिय़ा ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर बैन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। राजनीतिक संगठन, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी संगठन व सामाजिक संगठनों के पास अपनी बात रखने का आंदोलन ही एकमात्र माध्यम होता है, सरकार उसे भी दबाना चाह रही है, प्रदेश सरकार के इस आदेश का भाजपा विरोध करती है। जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर राजनीतिक संगठनों के आलावा प्रेस की आजादी भी छीन ली थी ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश भूपेश सरकार कर रही है। 16 मई को 12-00 बजे हजारों की संख्या में अपनी मांग को रखते हुए कलेक्टोरेट का घेराव भाजपा जिला बस्तर द्वारा किया जाएगा।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले के कुकड़ाझोर थाना अंतर्गत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के तीन आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी, बलात्कार के आरोपी धनेश मंडावी, सनीर उइके एवं रोहित उइके को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया गया। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुकड़ाझोर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन युवकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए बताया गया कि नाबालिक पीड़िता अपनी सहेली को उसके घर छोडऩे गई थी और छोडक़र साइकिल से वापस आ रही थी, रास्ते में सुनसान जगह पर तीन युवकों के द्वारा पीड़िता के मुंह को दबाकर खेत में ले जाकर पीड़िता से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया आरोपियों के खिलाफ परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन पेश करने पर कुकड़ाझोर थाने में अपराध क्रमांक 4 /2022 धारा 341 /376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपीगढ़ घटना के बाद से फरार हो गए थे जिनको पुलिस ने खोज बीन कर पकड़ा और गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर एसडीओपी लोकेश बंसल ने बताया कि कुकड़ाझोर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकुलवाही में 13 मई 2022 को कुकड़ाझोर थाने में पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था। एसपी सदानंद कुमार के मार्गदर्शन में टीम गठित कर कार्यवाही किया गया एवं युवक धनेश मंडावी,संतीर उईके, रोहित उइके तीनों आरोपियों को नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया।

अंधविश्वास के चलते टोनही होने की शक पर दिया आरोपी ने घटना को अंजाम

- जाँच के दौरान कई पहलुओ पर गहन विवेचना
- गंभीर धाराओं में भेजा गया आरोपी को रिमाण्ड पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना टीम को पुरूस्कृत करने की गई घोषणा।

कवर्धा (आरएनएस)। थाना कुकदूर में मोबाईल के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम दैहानटोला में सखीनाबाई के घर आग लगी है, कि उक्त सूचना पर कुकदूर पुलिस मौके पर पहूंचकर घटनास्थल का मुआयना कर घर अंदर सखीना बाई का शव संदिग्ध अवस्था में पूर्ण रूप से जली हुई पाये जाने पर तत्काल थाना कुकदूर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को सूचित किया गया है, जिस पर मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण एवं डाग स्क्वाड, सायबर टीम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी दुर्ग युनिट घटनास्थल पहुंचे। सभी विशेषज्ञ टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, मौके से सामान की जप्ती एवं शव पंचनामा कार्यवाही करने के बाद प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति द्वारा बल्ली के टुकड़ा से प्राण घातक हमला कर सखीना बाई का हत्या कर आग से जला देने पाये जाने से अपराध क्रमांक 33/2022 धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपी द्वारा विधवा बुजुर्ग महिला को वीभत्स तरीके से जघन्य हत्या करने के गंभीर प्रकरण को देखते हुये बी.एन.मीणा पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग ने मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को मामले की गंभीरता में लेकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी की पतासाजी किये जाने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिस पर डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम ने मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नरेन्द्र कुमार बेन्ताल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया एवं पंकज पटेल उप पुलिस अधीक्षक अजाक/कुकदूर के हमराह मामले की विवेचना हेतु विशेष टीम तैयार किया गया तथा प्रत्येक दिवस डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम ने मामले के संबंध में गई कार्यवाही की पल-पल जानकारी प्राप्त कर लगातार टीम को मॉनिटरिंग करते रहे। विशेष टीम द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलु पर बारिकी से विश्लेषण कर एवं क्षेत्र के विश्वनीय मुखबीरों के माध्यम से प्रकरण के अज्ञात आरोपी के संबंध में तथ्य संकलित किया गया, जिस प्रकार से जघन्य हत्या की गई उसे पकडऩे हेतु घटना के हर पहलुओं पर प्रयास किया गया। ऐसा कोई भी घटनाक्रम जो मृतिका से जुड़ा हो उस पर अलग-अलग टीम भेजकर लगातार संबंधित व्यक्तियो के कथन, साक्ष्य संग्रहण एवं तकनीकी सहायता से उनकी बातो के विश्वनीयता को परखा गया। घटना से जुड़े हुये ऐसे कई पहलुओ को नकारते हुये विशेष टीम द्वारा विश्वनीय मुखबिरो के माध्यम से ग्राम पिपरहा के परमेश्वर परस्ते का मामले में संलिप्तता होने की पुष्टिकृत जानकारी मिली, जिस पर विवेचना टीम द्वारा परमेश्वर परस्ते से बारिकी से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर परमेश्वर परस्ते ने बताया गया कि एक वर्ष पूर्व दैहानटोला की लडक़ी के साथ उसका रीति रिवाज से विवाह हुआ था, विवाह के कुछ दिनों बाद से उसकी पत्नी का तबियत खराब रहने से अंध विश्वास के कारण परमेश्वर अपने पत्नि को ईलाज के लिए अलग-अलग जगहों में झाड़-फुक बैगा का काम करने वाले लोगों के पास लेकर जाने लगा फिर भी उसकी पत्नी के तबियत में कोई सुधार नहीं होने पर अंध विश्वास के कारण परमेश्वर परस्ते अपने ससुराल ग्राम दैहानटोला ससुराल घर के पास में ही रहने वाली बेवा महिला मृतिका सखीना बाई पर उसकी पत्नी को जादु टोना कर तबियत खराब करने जिसके कारण उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने का शंका करता था। जिस कारण से दिनांक 09.05.2022 की रात आरोपी परमेश्वर परस्ते दैहानटोला में परिचित के यहां शादी में शामिल होने आया था उसी शादी घर में जब उसने सखीना को देखा तो अंदर ही अंदर गुस्से से भरकर रात में ही सखीना को जान से खत्म करने ठान लिया और देर रात का इंतजार कर मृतिका के घर के पीछे खेत के रास्ते से मृतिका के निर्माणाधीन मकान के खुली खिडक़ी से होते हुये मृतिका के घर में प्रवेश किया, जहां मृतिका बरामदे में खाट पर सोई थी मृतिका के सोये हालत में ही परमेश्वर परस्ते ने पास मे पड़े बल्ली का टुकड़ा उठाकर निर्ममता पूर्वक मृतिका के सिर पर प्राण घातक हमला कर हत्या कर दिया और मृतिका के घर के अन्य कमरों में जाकर तलाशी लिया जिस पर उसे 800/- रू. मिले जिसे रख लिया उसके बाद मृतिका के खाट के नीचे आग लगाकर वहां से फरार हो गया प्रकरण में आरोपी की अपराध स्वीकारोक्ती एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी परमेश्वर परस्ते को धारा 302,201,449 भादवि एवं 04,05, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताडऩा निवारण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया वनांचल क्षेत्र में हुये इस हृदयविदारक घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल था जिसे पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग एवं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश में तैयार विवेचना टीम द्वारा उत्कृष्ट पुलिसिंग एवं लगातार प्रयास कर अल्प समय में आरोपी को साक्ष्य के साथ गिरफ्तार करने में सफल हुई है

मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर जवानों को दिया विशेष प्रशिक्षण

- सुरक्षा व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिये जवानों ने किया मॉक ड्रिल

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चन्द्राकर द्वारा 02 दिवसीय सीपीटी (क्लोज प्रोटेक्शन टीम) प्रशिक्षण रक्षित केन्द्र नारायणपुर में संपन्न करवाया गया। यह प्रशिक्षण जिसमें जवानों को हेलीपेड, कार्यक्रम स्थल एवं आमसभा स्थल सुरक्षा तथा भीड़ से बचाव एवं आकस्मिक स्थिति में व्हीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके सीखाया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से जवानों को व्हीआईपी ड्यूटी के दौरान संभावित सुरक्षा खतरे और चुनौतियों का सामना करने विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

गौरतलब है कि सीपीटी (क्लोज प्रोटेक्शन टीम) ट्रेनिंग की समापन के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चन्द्राकर ने रक्षित केन्द्र नारायणपुर में मुख्यमंत्री प्रवास की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिये मॉक ड्रिल कराया। इस दौरान बाकायदा एक जवान को सांकेतिक व्हीआईपी बनाकर ड्रिल कराया गया। सीपीटी अर्थात क्लोज प्रोटेक्शन टीम व्हीआईपी प्रवास के दौरान निर्धारित सिविल ड्रेस में व्हीआईपी के निकट रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दो दिवसीय सीपीटी ट्रेनिंग के समापन के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चन्द्राकर के साथ रक्षित निरीक्षक दीपक साव एवं अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

बरमपुर में लगाई गयी चलित थाना, सुलझाई गई लोगों की समस्याएं

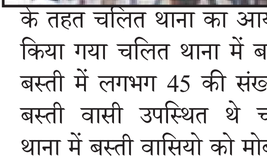

कोरबा। सर्वमंगला पुलिस द्वारा 14 मई 2022 को बरमपुर में संगवारी पुलिस चलित थाना कार्यक्रम आयोजित कर बस्ती में बस्ती वासियों की समस्याएं सुनी गई एवं मोबाइल एटीएम से धोखाधड़ी व अपराधों के संबंध की जानकारी दी गई।

भोजराम पटेल पुलिस अधीक्षक कोरबा श्रीमान अभिषेक वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा सूश्री लितेश सिंह नगर पुलिस अधीक्षक दर्री के मार्गदर्शन एवं निर्देश अनुसार जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए 14 मई 2022 को चौकी सर्वमंगला के बरमपुर बस्ती में संगवारी पुलिस के तहत चलित थाना का आयोजन किया गया चलित थाना में बरमपुर बस्ती में लगभग 45 की संख्या में बस्ती वासी उपस्थित थे चलित थाना में बस्ती वासियो को मोबाइल एटीएम से धोखाधड़ी संबंधी ठगी से बचने के संबंध में जानकारी दी गई तथा यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा महिला संबंधी अपराधों की जानकारी अवैध शराब एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों जागरूक रहने की समझाइश दी गई।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बालक गंभीर

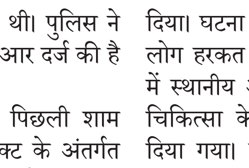

कोरबा। पोड़ी उपरोड़ा सब डिवीजन के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में हुई घटना में एक बालक घायल हो गया। उसे एक वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जो कोलफील्डस से कोयला लेकर मध्यप्रदेश जा रही थी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच कर रही है।

पसान पुलिस ने बताया कि पिछली शाम एसईसीएल के रानी अटारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह घटना हुई। कोरबा जिले की सीमा में संचालित हो रही इस माइंस का विभागीय तौर पर वास्ता चिरमिरी वेस्ट एरिया से है। बताया गया कि कोयला लोड करने वाले वाहन शार्टकट मारने के लिए पीएमजी,सवाय रोड का उपयोग करते हैं। इस चक्कर में जहां कम क्षमता वाली सडक़ खराब हो रही वहीं आय दिन हादसे हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार रानी अटारी प्रोजेक्टस से कोयला लेकर एक मालवाहक मध्यप्रदेश को जा रहा था। जिसने पसान क्षेत्र में एक बालक को घायल कर दिया। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग हरकत में आये। पीड़ित को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना को लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बताया गया कि छोटी सडक़ पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में गाडिय़ां दौड़ रही है। लोगों ने मांग की है कि इस मामले में जो निर्देश सरकार के द्वारा जारी किये गए हैं, उसका परिपालन हरहाल में होना चाहिए।

दीपका कोल माइंस में हादसा: हॉल रोड में गिरा डोजर, ऑपरेटर गंभीर

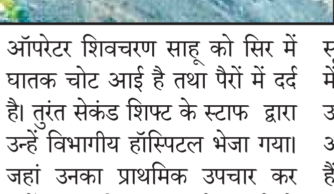

कोरबा। एसईसीएल दीपका क्षेत्र की कोल माइंस में 14 मई को द्वितीय पाली में हुए हादसे में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर मिलने पर प्रबंधन हरकत में आया। पीड़ित कर्मी को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य के बाद अपोलो भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार डोजर क्रमांक 905 बीडी 455 को डोजर ऑपरेटर शिव शरण साहू चला रहे थे। शिफ़्ट के अंत में लगभग 10 बजे के पहले कोयला स्टॉक क्रमांक 19 और 20 के बीच हाल रोड में राइट साइड डोजर बेंच से नीचे गिर गया। जिससे ऑपरेटर शिवचरण साहू को सिर में घातक चोट आई है तथा पैरों में दर्द है। तुरंत सेकंड शिफ्ट के स्टाफ द्वारा उन्हें विभागीय हॉस्पिटल भेजा गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें तुरंत उचित इलाज हेतु अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर भेज दिया गया है। घटनास्थल का मुआयना करने पर यह पाया गया कि पहला राइट साइड हाल रोड में बर्म नहीं था। दूसरा हाल रोड में प्रोडक्शन वाले डंपर विभागीय चल रहे हैं। मगर हाल रोड की चौड़ाई कम है। आज रात में ही हाल रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए डोजर लगा दिया गया है। तीसरा डंपर में पर्याप्त लाइट नहीं है। सूचनाओं के अनुसार कोलफील्ड्स में चलने वाले वाहनों के साथ-साथ उनके लिए बनाए गए मार्ग में सुरक्षा और अन्य तकनीकी खामियां बनी हुई हैं। बड़े अरसे से इस प्रकार के हालात यहां पर कायम हैं। इसे लेकर ऑपरेटर और कामगार लगातार चिंता जताते रहे हैं और अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। इसके बावजूद सुधार की दिशा में जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। माना जा रहा है कि लगातार हो रही अनदेखी कारण कोलफील्ड्स में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इनमें कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ उनके हितों को लेकर कोलफील्ड्स में सक्रिय कई लेबर यूनियन बड़े-बड़े हवाई दावे करने से कभी पीछे नहीं रहती हैं। इन सबके बाद भी खदानों में कई प्रकार की विडंबना, बनी हुई हैं और कामगारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिया समझना मुश्किल है कि आखिर ट्रेड यूनियनों के एरिया से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी कर क्या रहे हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी को झारखंड के रांची से किया गया गिरफ्तार

कोरबा। थाना दर्री अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में निवास करने वाले प्रमोद कुमार गुप्ता पिता किरोड़ीमल गुप्ता उम्र 27 वर्ष को झारखंड के रांची से दुष्कर्म के आरोप में थाना दर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के आरोपी 9 वर्षो से नाबालिक लडक़ी को शादी करने का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करता रहा घटना पर मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एनगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह के मार्ग निर्देशन में आरोपी का तलाश किया जा रहा था, आरोपी जगह बदल बदल कर रह रहा था। उक्त मामले के संबंध में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की आरोपी प्रमोद गुप्ता के द्वारा वर्ष 2013 से लगातार शिशु मंदिर प्रगति नगर के पास शारिरीक संबंध कर दैहिक शोषण करते आ रहा था। इस दौरान वर्ष 2019 में घुमाने के लिए आरोपी द्वारा पीड़िता को विशाखापट्टनम लेकर गया जहां आरोपी द्वारा पीड़िता से मांग में सिंदूर भर कर पत्नी बनाकर लाज में 3 दिन रखा था। लगातार शारीरिक शोषण किया इसके बाद वह अपने निवास स्थान आ गई तब सामाजिक रीति रिवाज से शादी करूंगा कह कर टाल मटोल करता रहा बोलने पर आज करूंगा कल करूंगा बोलता रहा, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली आरोपी झारखंड में रह रहे कि सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी टीआई विवेक शर्मा तत्काल टीम गठित कर आरोपी पता तलाश करने झारखंड के लिए रवाना किया गया जहां आरोपी प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार कर थाना लाकर 14 मई 2022 को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त आरोपी का पता तलाश करने में निरीक्षक विवेक शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अनीता खेस, आरक्षक सलाहुद्दीन,आरक्षक अशोक चौहान झारखंड से आरोपी को पकडक़र लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।

हाथियों के हमलों से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिला सहायता राशि

- सिहावा विधायक ने चेक प्रदान किया

नगरी (आरएनएस)। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक व मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने हाथियों के हमलों से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 6 लाख रू. की सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान किया।

विदित हो कि दिनांक 11.04.2022 को नगरी निवासी 12 वर्षीय बालिका कु. सिमरन साहू कक्षा 5 वीं की छात्रा थी। जो अपने पिता के साथ जंगल महुआ बिनने दुगली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चारगांव के जंगल में गई थी जहां कक्ष क्रमांक 335 में अचानक हाथी आने से दोनो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे जिसमें कु. सिमरन भाग नही पाई जिसे हाथियों द्वारा हमला कर मार डाला गया। वहीं दूसरी घटना ग्राम संबलपुर निवासी दसरी बाई निषाद पति सियाराम निषाद के साथ महुआ बीनने नगरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत तुमबाहरा के पास सागौन प्लाट में गई थी। जहां अचानक हाथी आने से अपनी जान बचाने के लिए भागे जिसमें दसरी बाई गिर जाने के कारण हाथियों ने पटक कर मार डाला। घटना की खबर लगते ही क्षेत्र की विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर तत्काल शासन के नियमानुसार 25-25 हजार रू. की सहायता राशि दिया गया था एवं शासन के योजनाओं को तत्काल अमल करने वन विभाग को निर्देशित किया।

कल दिनांक 14.05.2022 को हाथियों से मृत कु. सिमरन के पिता चन्द्रशेखर साहू निवासी नगरी को शासन के नियमानुसार पांच लाख पचहत्तर हजार रू. एवं संबलपुर निवासी मृतक दसरी बाई निषाद के पति सियाराम निषाद को 05 लाख 75 हजार रू. का चेक क्षेत्र की विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा प्रदान किया गया।

इस दौरान साथ में नगरी, पी.सी.सी. सदस्य लखन लाल ध्रुव,अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी भूषण साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी अमृत लाल नाग,मुनेन्द्र ध्रुव सचिव सरपंच संघ नगरी, वनमण्डलाधिकारी मयंक पाण्डेय, उपमण्डलाधिकारी हरीश पाण्डेय एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी नदीन कृष्ण बरिहा, वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुड़ी दीपक गावड़े, उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

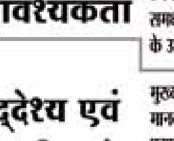

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर से कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU